(107)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए / कोविड / 2020 / 107 दिनांक 27.04..2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने हेतु सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश / निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आदेश सं0 डीडीएमए / कोविड–19 / 2020 / 20 दिनांक 04.04.2020 में व्यापक विकलांगता समावेशी दिशा–निर्देश दिनांक 26.03.2020 सूचित कर दिये हैं, जिसमें कोविड–19 के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति के दौरान विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) (दिव्यांगजन) के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

और जबकि, सचिव, विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने डी.ओ. पत्र दिनांक 24.04.2020 (पहले से संलग्न डीओ पत्र दिनांक 23.03.2020 के साथ संलग्न) के द्वारा विकलांग व्यक्तियों, सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों और कोविड–19 परीक्षण में रोगी के परिचारकों / देखभाल करने वाले व्यक्तियों को भौतिक पहुंच प्रदान करने और अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में क्वारंटीन (संगरोधन) और उपचार सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया हैं।

तदनुसार, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और सभी जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली निम्नलिखित को सुनिश्चित कर सकते हैंः–

क) सभी ऑपरेटिंग और कंट्रोल मैकेनिज्म और सेल्फ–ऑपरेटेड डिवाइसेस (सैनिटाइजर डिस्पेंसर, दस्ताने केस, साबुन, वॉश बेसिन) ऐसे स्थानों पर रखे जाये जहां दिव्यांगजनों विशेष रूप से व्हीलचेयर उपयोग करने वाले आसानी से पहुंच सके।

ख) रंगों और कंट्रास्ट की मानक आवश्यकताओं के अनुसार चित्रमय और सरल, स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत।

ग) रेंप (ढाल 1ः 12) रेलिंग के साथ उपलब्ध कराना।

घ) रिसेप्शन, परीक्षण क्षेत्रों और फार्मेसियों में कम से कम एक (01) कम ऊंचाई का सुलभ काउंटर।

ङ) महत्वपूर्ण समाचारों की सार्वजनिक घोषणाओं के लिए ऑडियो अनाउंसमेंट और कैप्शन वीडियो बनाए जाएं।

च) दिव्यांगजनों की सहायता के लिये लिफ्टों में पहुँच क्षमता सुनिश्चित करना या कम से कम एक लिफ्ट में लिफ्टमैन को नियुक्त करना।

छ) दिव्यांगजनों के लिए सुलभ शौचालयों की सुविधा वाले आरक्षित क्षेत्र/कमरे/वार्डों की सुविधा उपलब्ध कराना।

ज) कोविड–19 रोगियों, विशेष रूप से बौद्धिक विकलांगता और मानसिक रूप से बीमारों के परिचारकों के लिए वेस्टिबुलर केबिन का प्रावधान।

यह मुख्य सचिव/अध्यक्ष, एसईसी, डीडीएमए, दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(संजीव खैरवार)
प्रधान सचिव (राजस्व)
मंडलीय आयुक्त, दिल्ली.

सेवा में,

1. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त ग्यारह जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. अनुभाग अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को ddma.delhigovt.nic.in –वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

9- गार्ड फाईल।